प्रेस नोट- थाना बण्डा

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक 12.01.2026

"थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा वर्ष 2024-2025 में थाना स्थानीय पर पंजीकृत आबकारी अधिनियम से संबंधित अभियोगों में बरामद अवैध कच्ची शराब एवं निर्माण उपकरणों का किया गया विनष्टिकरण"

"श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदया एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे माल निस्तारण अभियान के अंतर्गत थाना बण्डा पर वर्ष 2024-2025 में विभिन्न अभियोगों में बरामद माल का विनष्टिकरण आज दिनांक 12.01.2026 को थाना बण्डा पुलिस द्वारा किया गया।"

संक्षिप्त विवरणः-

थाना बण्डा पर वर्ष 2024 एवं 2025 में पंजीकृत आबकारी अधिनियम से संबंधित 213 अभियोगों में कुल 1302 लीटर अवैध कच्ची शराब तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए थे। श्रीमान न्यायालय सिविल जज/जूडि पुवायां, शाहजहाँपुर महोदय के दिनांक 22.12.2025 के आदेशों के अनुपालन में आज दिनांक 12.01.2026 को थाना बण्डा पर दाखिल आबकारी अधिनियम से संबंधित उपरोक्त माल का विनष्टिकरण किया गया। विनष्टिकरण की प्रक्रिया निरीक्षक आबकारी (आबकारी विभाग सर्किल पुवायाँ), प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा एवं व0उ0नि0 विनीत कुमार थाना बणडा की मौजूदगी में गड्ढा खुदवाकर की गई, जिसमें वर्ष 2024 एवं 2025 के पंजीकृत 213 अभियोगों में बरामद 1302 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरणों को नियमानुसार नष्ट किया गया।

विनष्टिकरण के समय मौजूद टीम –

1. श्री प्रदीप कुमार राय प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
2. श्री राजेन्द्र कुमार आबकारी निरीक्षक आबकारी विभाग सर्किल पुवायाँ
3. व0उ0नि0 विनीत कुमार थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर
4. एच0एम0 346 राजेश कुमार थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर